भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015केका.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	डीओपीटी के दिनांक 28.03.2013 के का.ज्ञा.सं. एबी-14017/54/2005-स्था (भ.नि.)में जारी पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए मॉडल भर्ती नियमों पर दिशा-निर्देशों के अनुसार
2.	पदों की सं.	1* (2017) (कार्यभार पर आधारित परिवर्तन के अधीन)	सीआईपी रांची में पीबी-3+ 6600/- में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी का एक पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक03.03.2014 के पत्रसं. ए.11013/1/2008-पीएच-1 के नया सृजित
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित),अननुसचिवीय	डीओपीटी के दिनांक 09.04.2009 को जारी आदेश फा.सं. 11012/7/2008-स्था (क) के अनुसार
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (ग्यारह)	सीसीएस आरपी नियम 2016 के अनुसार
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	चयन	दिनांक 31.03.2015 के एबी.14017/13/2013-स्था (भ.नि.) में जारी डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार, जब निम्न से उच्च समूह में (सहायक पुस्तकायल एवं सूचना अधिकारी समूह 'ख' पद से पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी समूह 'क' पद पर पदोन्नति) होती है तब चयन होना चाहिए
6.	सीधीभर्ती के लिए आयु-सीमा	40वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) टिप्पणी: आयु सीमा निश्चित करने की अंतिम तारीख यूपीएससी द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार।	1) दिनांक 28.03.2013 के डीओपीटी द्वारा जारी का.ज्ञा.सं.एबी.14017/54/2005-स्था (भ.नि.) के अनुसार। 2) दिनांक 31.03.2015 के डीओपीटी द्वारा जारी का.ज्ञा. सं.एबी.14017/13/2013-स्था

			(भ.नि.) के अनुसार।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	अनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञानया पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या संवैधानिक संगठन/पीएसयू/विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत पुस्तकालय में पांच वर्ष की व्यवसायिक अनुभव। वांछनीय: (i) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या संवैधानिक संगठन/पीएसयू/विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत पुस्तकालय में क्रियाकलापों के कंप्यूटरीकरण में एक वर्ष का अनुभव। (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की	डीओपीटी द्वारादिनांक 28.03.2013 को जारी का.ज्ञा.सं.एबी-14017/54/2005-स्था. (भ.नि.) में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए मॉडल भर्ती नियमों पर निर्देशों के अनुसार।

		दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में कम से कम स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए।	डीओपीटी द्वारादिनांक 28.03.2013 को जारी का.ज्ञा.सं.एबी-14017/54/2005-स्था. (भ.नि.) में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए मॉडल भर्ती नियमों पर निर्देशों के अनुसार यह निम्नलिखित के लिए होना चाहिए:- आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में कम से कम स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष पदोन्नति के लिए 2 वर्ष	डीओपीटी के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी-14017/13/2013-स्था. (भ.नि.) में जारी निर्देशों के अनुसार
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	डीओपीटी के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी-14017/13/2013-स्था. (भ.नि.) में जारी निर्देशों के अनुसार
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	प्रोन्नति: ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित पे मैट्रिक्स (44,900 रु.) में लेवल 7 मे सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी जो कॉलम 8 में दी गई योग्यता धारण करता हो और पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान से चार (4) सप्ताह का प्रशिक्षण	डीओपीटी द्वारादिनांक 28.03.2013 को जारी का.ज्ञा.सं.एबी-14017/54/2005-स्था. (भ.नि.) में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए मॉडल भर्ती नियमों पर निर्देशों के अनुसार।

		सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के तहत अधिकारी- (क) (i) समकक्ष पद नियमित आधार पर धारण किए हों, या (ii) पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में या समकक्ष में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित, और (ख) कॉलम 7के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो। टिप्पणी: 1. फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतुविचारणीय नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए योग्य नहीं होगा। 2. केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 4. आमेलन का प्रावधान केवल केन्द्रीय/ राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के मामले में ही मान्य होगा।	
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	प्रोन्नति/ नियमितीकरण पर विचार करने के लिए समूह 'क'	डीओपीटी के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी-14017/13/2013-स्था.

		विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. अध्यक्ष/ सदस्य, यूपीएससी-अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (एम)-सदस्य 3. निदेशक (एमई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय– सदस्य	(भ.नि.) में जारी निर्देशों के अनुसार
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	प्रत्येक अवसर पर यूपीएससी से परामर्श करना आवश्यक है।	डीओपीटी के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी-14017/13/2013-स्था. (भ.नि.) में जारी निर्देशों के अनुसार